(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY)

DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING
(DEVELOPMENT DEPARTMENT)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
49, SHAM NATH MARG, OLD SECTT., DELHI-110054.
Fax No. 23818298, E-Mail Address: dagri@sansad.nic.in

Dated: 01.08.2011

NOTIFICATION

No. F. 8(8)/2011/DAM/MR/ 9612 Whereas by Notification No. F. 8(13)/93-DAM/MR/142-57 dated 17.01.97 issued under the provisions of Sub-Section (1) of Section 4 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1976 (87 of 1976) the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi had declared the Whole National Capital Territory of Delhi as "Market Area" of an agricultural produce pertaining to Item No. XV "Horticultural", for the purpose as specified therein.

Whereas, Mehrauli Flower Market was notified as Principal Market for marketing of an agricultural produce pertaining to Item No. XV 'Horticulture' as is specified in Schedule-I in the 'market area' specified in Schedule-II vide Notification No. F. 8(13)/93-DAM/MR/1627 dated 03.06.1997, which has been denotified vide order No. F. 8(8)/2011/DAM/MR/9070 dated 06.06.2011, as notified in the Delhi Gazette.

Now, therefore in exercise of powers under Sub Section (2) of Section 23 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998, I Kailash Chandra, Director, Agricultural Marketing, Govt. of NCT of Delhi do hereby establish within the compound of Fruit & Vegetable Market, IFC Gazipur the following place to be the Principal Market for marketing of an agricultural produce pertaining to Item No. XV 'Horticulture' as is specified in Schedule-I in the market area specified in Schedule-II as appended below:-

Principal Market – IFC Gazipur Flower Market

Area of 1.5 Acres bounded as under: -

East	:	45.00 meter road.
West	:	Gazipur Village.
North	:	Subzi Mandi, Gazipur.
South	:	NH-24.

Schedule – I

'Flowers, Cut Flowers', an agricultural produce pertaining to Item No. XV 'Horticulture'.

Schedule – II

The Whole National Capital Territory of Delhi as 'market area' for regulation of the marketing of an agricultural produce as is specified in Schedule-I.

This issues in supersession of order No. F. 8(8)/2011/DAM/MR/7616 dated 28.02.2011.

Kch

(KAILASH CHANDRA)
DIRECTOR, AGRICULTURAL

No. F. 8(8)/2011/DAM/MR/ 9613-9626 Dated: 01.08.2011

Copy to:-

1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi
2. The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad
3. The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi
4. The Principal Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
5. The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi.
6. The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
7. The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi
8. The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.
9. The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra-Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office (two copies).
10. Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur and Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Delhi/New Delhi and Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi, Khoya/Mawa Marketing Committee, Bagh Diwar/Mori Gate and Flower Marketing Committee, Delhi.
11. The Dy. Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi
12. The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi
13. The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi
14. All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.
15. Guard file.

(KAILASH CHANDRA)
DIRECTOR, AGRICULTURAL MARKETING CUM SPL. SECRETARY (DEVELOPMENT)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

(दिल्ली असाधारण गजट के भाग–4 में प्रकाशित किए जाने के लिए)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विकास विभाग)
कृषि विपणन निदेशालय
49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

दिनांक : 01–08–2011

अधिसूचना

सं. एफ 8(8)/2011/डी0ए0एम0/एम0आर0/9612 जबकि दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 की सं0 87) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत जारी अधिसूचना सं0 फा0 8(13)/93–कृ0वि0नि0/एम.आर./142–57 दिनांक 17.01.97 के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप–राज्यपाल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समस्त क्षेत्र को अधिनियम के साथ संलग्न 'अनुसूची' में शामिल मद संख्या 15 'बागवानी' से सम्बन्ध प्रयोजन के लिए 'मण्डी क्षेत्र' के रूप में घोषित किया।

जबकि, पुष्प मण्डी महरौली को अधिसूचना संख्या एफ 8(13)/93–डी0ए0एम0/एम0आर0/1627 दिनांक 03–06–1997 द्वारा अनुसूची–द्वितीय में निर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में अनुसूची–प्रथम में निर्दिष्ट कृषि उपज मद सख्या 15 'बागवानी' से सम्बन्ध कृषि उत्पाद के विपणन के लिए प्रमुख मण्डी घोषित किया था जिसे आदेश संख्या एफ 8(8)/2011/डी0ए0एम0/एम0आर0/9070 दिनांक 06–06–2011 द्वारा डी–नोटिफाई कर दिया गया है जो कि दिल्ली राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

अतः अब, दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं कैलाश चन्द्र, निदेशक, कृषि विपणन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार निम्न संलग्न अनुसूची–द्वितीय में विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में अनुसूची–प्रथम में विनिर्दिष्ट मद संख्या 15 'बागवानी' से सम्बन्ध कृषि उत्पाद के विपणन के लिए फल एवं सब्जी मण्डी, आई.एफ.सी., गाजीपुर के परिसर में निम्नलिखित स्थान पर प्रमुख मण्डी स्थापित करता हूँ:–

प्रमुख मण्डी – आई.एफ.सी. गाजीपुर पुष्प मण्डी
1.5 एकड़ क्षेत्र में निम्नानुसार परिबद्धः–

पूर्व	:	45.00 मीटर रोड.
पश्चिम	:	गॉव गाजीपुर
उत्तर	:	सब्जी मण्डी, गाजीपुर
दक्षिण	:	राष्ट्रीय राजमार्ग – 24

अनुसूची–प्रथम

'पुष्प, गुलदस्ते वाले फूल (कट फलॉवर)', कृषि उपज मद संख्या 15 'बागवानी' से सम्बन्धित।

अनुसूची–द्वितीय

समस्त दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मण्डी क्षेत्र, कृषि उपज के विपणन के विनियमन हेतु, जैसा कि अनुसूची–प्रथम में विनिर्दिष्ट किया गया है।

यह अधिसूचना आदेश संख्या एफ 8(8)/2011/डी0ए0एम0/एम0आर0/7616 दिनांक 28–02–2011 को रदद् करके जारी की गई है।

कैलाश चन्द्र

(कैलाश चन्द्र)
निदेशक, कृषि विपणन एवं
विशेष सचिव (विकास)

सं. एफ 8(8)/2011/डी0ए0एम0/एम0आर0/ 9613-9626 दिनांक : 01–08–2011

प्रतिलिपिः–

1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)।
3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
4 प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
5 सचिव, मंत्री (विकास), दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
7 विकास आयुक्त, दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।
8 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
9 उप–सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्दप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग–4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए (दो प्रति)।
10 कृषि उत्पाद विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), दिल्ली/नई दिल्ली और मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, खोया/मावा विपणन समिति, बाग दीवार/मोरी गेट एवम पुष्प विपणन समिति, दिल्ली।
11 उप–सचिव, विधि विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
12 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
13 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
14 संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।
15 गार्ड फाईल।

कैलाश चन्द्र

(कैलाश चन्द्र)
निदेशक, कृषि विपणन एवं
विशेष सचिव (विकास)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार